प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

पत्रांक / प्रा0शि0 / स0अ0नियुक्ति / 6499 / 2025–26 दिनांक 09 जनवरी, 2026

विषयः– **जनपद में सहायक अध्यापक प्राथमिक नियुक्ति 2025** काउन्सिलिंग **हेतु अभ्यर्थीयों पात्रता सूची एवं आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय बैवसाइड में अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय एवं मा0विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2026 को आहूत बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में अभ्यथियों की काउन्सिलिंग हेतु पात्रता सूची एवं आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय बैवसाइड में प्रदर्शित की जानी है। अभ्यर्थियों की पात्रता सूची इत्यादि विभागीय बैवसाइड में प्रदर्शित किये जाने हेतु ईमेल के माध्यम से आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है। उक्त अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग हेतु पात्रता सूची एवं आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय बैवसाइड में प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
09/01/26
(एच0बी0चन्द)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा0शि0,नैनीताल।

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा,नैनीताल।

:: आदेश/निर्देश ::

समस्त पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थीयों को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 12 जनवरी,2026 को सम्पादित होने वाली सहायक अध्यापक(प्राथमिक)की काउन्सिलिंग प्रकिया में निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

- समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंकपत्रों /प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
- अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र/प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- स्थाई निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- जाति प्रमाण पत्र, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सार्टीफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र)।
- दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थीयों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूलप्रति।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थीयों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्यालय ज्ञाप संख्या–164 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/ वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019" के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।
- वर्ष 2018 एवं 2020 के डी0एल0एड0 आवेदन कर्ता, जो पूर्व में चयनित नहीं हुए है, तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान चयन प्रकिया में सम्मिलित किया गया है, के चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण का शपथ पत्र। (शासनादेश संख्या–254/कार्मिक–2 /2002 दिनांक 10.10.2002 के कम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधानी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।)
- प्रदेश से इतर डी0एल0एड0 किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित प्रदेश में (जहॉ से डी0एल0एड0 किया गया) स्थाई नागरिकता की बाध्यता नही है।
- एन.आई.ओ.एस./डी.एल.एड. अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य भी यथा नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबन्धन/संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति, पठन–पाठन की समय सारिणी इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। UDISE मे पंजीकरण (सम्बन्धित संस्था) का संलग्न करेंगे।
- अभ्यर्थी समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दो प्रतियों में फाइल कवर में संलग्न कर काउन्सिलिंग तिथि को साथ में लेकर उपस्थित होगे। तथा प्रदर्शित सूची में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो अभ्यर्थी काउन्सिलिंग स्तर पर सम्बन्धित त्रुटि के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, तद्पश्चात त्रुटि का निवारण किया जायेगा।
- **तथापि कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने मात्र से नियुक्ति प्राप्त किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा।**
- **नोटः– (एक बन्द बैग/फाइल कवर जिसमें अभ्यर्थी का नाम विवरण एवं समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र विवरण सहित जमा होगें)**

09/01/26

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा0शि0,नैनीताल।